



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221741
CG-DL-E-16092020-221741

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2796]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2796]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3144(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मिनी सचिवालय, D.C. कॉम्प्लेक्स, डोडा (NH-244) के कि.मी 0 से 2.016 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-244 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	जिला मजिस्ट्रेट / डिप्टी उपायुक्त / जिला विकास आयुक्त, डोडा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-244 के कि.मी. 0 से 2.016 तक	जम्मू और कश्मीर	डोडा	डोडा	1 मोथी
					मरमत	2 हम्बल
						1 गोहा

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishwtar/DPR/Goha-Khellani/Link Road/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3144(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 0 to 2.016 of Mini Secretariat Complex, Doda (NH-244) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-244 in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate/ Deputy Commissioner / District Development Commissioner, Doda	0KM To 2.016KM	JAMMU & KASHMIR	DODA	Doda	1 Mothi 2 Hambal
					Marmat	1 Goha

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishwtar/DPR/Goha-Khellani/Link Road/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.